न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –179/2023

1. नर्बदादेवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. भागादेवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. शांतीदेवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

– सायलान

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. पार्वती पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. श्योदतराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. दानाराम पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **सायल**
श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः –27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 275/251 के खसरा न0 721/9 की 1.5180हैक्ट भूमि सायलान के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 222/202 के खसरा न0 721/1011 की 1.2650हैक्ट भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज है व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 223/203 के खसरा न0 721/8 की 0.5060हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय में खसरा न0 721 के विभाजन की डिक्री जारी की गई थी उक्त डिक्री की पालना में उक्त खसरा की तरमीम मुताबिक विभाजन नजरीय नक्शा व आदेशानुसार न होकर सहवन से गलत दर्ज हो गई जिसकों मुताबिक डिक्री व मौका नक्शानुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है

खसरा न0 721 का नक्शा सहवन से गलत तरमीम हो चुका है जिसमें उत्तर पश्चिम कोने में दानाराम के 2 बीधा भूमि दर्ज होनी थी जबकि नजरिय नक्शा में उत्तरी पश्चिमी कोने में दानाराम के 2 बीधा की जगह नर्बदादेवी आदि को भू नक्शा में दर्शाया गया है और नर्बदा देवी की जगह दानाराम को दर्शाया गया है जबकि विभाजन में दानाराम के पूर्व में नर्बदादेवी दर्शित है जिसे दुरूस्त करवाने के अधिकारी है

खसरा न0 721/1011 की 5.00 बीधा भूमि जो उक्त खसरो से अलग दानाराम के नाम उत्तर दिशा में दर्ज था जिसका स्थान बरवक्त सेगरीगेशन में परिवर्तित कर दिया गया व जिसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 4151 मंजूर हुआ जिससे दानाराम की जगह तुलछाराम पुत्र निकुराम काश्तकार दर्ज हुआ जो रिकार्ड में [illegible] संख्या 222 में दर्ज है।

गैरसायलान काफी तेज तर्रार व्यक्ति है [illegible] से गलत दर्ज हुए नक्शे की आड में सायलान की भूमि पर कब्जा [illegible] जी करने पर उतारू है तथा सायलान के कब्जा में प्रवेश कर [illegible] कायदा उठाकर भू[illegible]न करने की धमकी दे रहा है यदि गैरसायल अपने मकसद में [illegible]मयाब हो जाता है [illegible]लान को ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायलान गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

सायलान ने गैरसायलान को कई दफा कहा कि वे सायलान के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे व उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय अनुसार नक्शा दुरूस्त करवा लेवे तो किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 721/1011 की 1.2650हैक्ट व खाता संख्या 223/203 के खसरा न0 721/8 की 0.5060हैक्ट भूमि रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायला न0 4 को रजिस्टर्ड सम्मन/नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा गैरसायलान संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है सायलान नक्शा तरमीम को दुरूस्त करवाने के अधिकारी नही है तुलछाराम के नाम भूमि राजस्व मण्डल के आदेशानुसार दर्ज हुई है एवं एक प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु विचाराधीन है एक वाद दानाराम बनाम विजय कुमार वाद संख्या 197/2008 इश्तकरार हक व खाता विभाजन का पेश हुआ है जिसका निर्णय दिनांक 30.06.2011 को अन्तिम डिक्री किया गया थ जिसमें सायलान बतौर गैरसायलान संख्या 7 ता 9 थे उक्त डिक्री की पालना हुयी आज सायलान उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त नही करवा सकती है प्रार्थना पत्र सायलान क्षेत्राधिकार का नही है सायलान निर्णय दिनांक 30.06.2011 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय को उक्त वाद की आड में निरस्त करवाना चाहती है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के नही है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसायलान संख्या 1 ता 3 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 275/251 के खसरा न0 721/9 की 1.5180हैक्ट भूमि सायलान के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 222/202 के खसरा न0 721/1011 की 1.2650हैक्ट भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज है व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 223/203 के खसरा न0 721/8 की 0.5060हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय में खसरा न0 721 के विभाजन की डिक्री जारी की गई थी उक्त डिक्री की पालना में उक्त खसरा की तरमीम मुताबिक विभाजन नजरीय नक्शा व आदेशानुसार न होकर सहवन से गलत दर्ज हो गई जिसकों मुताबिक डिक्री व मौका नक्शानुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है

खसरा न0 721 का नक्शा सहवन से गलत तरमीम हो चुका है जिसमें उत्तर पश्चिम कोने में दानाराम के 2 बीधा भूमि दर्ज होनी थी जबकि नजरिय नक्शा में उत्तरी पश्चिमी कोने में दानाराम के 2 बीधा की जगह नर्बदादेवी आदि को भू नक्शा में दर्शाया गया है और नर्बदा देवी की जगह दानाराम को दर्शाया गया है जबकि विभाजन में दानाराम के पूर्व में नर्बदादेवी दर्शित है जिसे दुरूस्त करवाने के अधिकारी है

खसरा न0 721/1011 की 5.00 बीधा भूमि जो उक्त खसरो से अलग दानाराम के नाम उत्तर दिशा में दर्ज था जिसका स्थान बरवक्त सेगरीगेशन में परिवर्तित कर दिया गया व जिसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 4151 मंजूर हुआ जिससे दानाराम की जगह तुलछाराम पुत्र निकुराम काश्तकार दर्ज हुआ जो रिकार्ड में खाता संख्या 222 में दर्ज है।

गैरसायलान काफी तेज [illegible] गलत दर्ज हुए नक्शे की आड में सायलान की भूमि पर कब्जा करने की [illegible] अंदाजी करने पर उतारू है तथा सायलान के कब्जा में प्रवेश [illegible] उठाकर भूमि बेचान करने की धमकी दे रहा है यदि गैरसायल [illegible] याब हो जाता है तो सायलान को ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायलान गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायलान नक्शा तरमीम को दुरूस्त करवाने के अधिकारी नही है तुलछाराम के नाम भूमि राजस्व मण्डल के आदेशानुसार दर्ज हुई है एवं एक प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु विचाराधीन है एक वाद दानाराम बनाम विजय कुमार वाद संख्या 197/2008 इश्तकरार हक व खाता विभाजन का पेश हुआ है जिसका निर्णय दिनांक 30.06.2011 को अन्तिम डिक्री किया गया थ जिसमें सायलान बतौर गैरसायलान संख्या 7 ता 9 थे उक्त डिक्री की पालना हुयी आज सायलान उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त नही करवा सकती है प्रार्थना पत्र सायलान क्षेत्राधिकार का नही है सायलान निर्णय दिनांक 30.06.2011 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय को उक्त वाद की आड में निरस्त करवाना चाहती है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के नही है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत नक्शा तरमीम होगा या नही का वाद में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि के सम्बध में उपखण्ड अधिकारी नोहर में विचाराधीन वाद जिसमें निर्णय पारित हो चुका की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन सही प्रकार से नही हुआ पर्चा डिक्री के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की घोषणा का अनुतोष वाद में चाहा गया है न्यायालय की निर्णय /पर्चा डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाना भी उचित है सायलान का कथन है सहवन से खसरों की तरमीग गलत तौर से दर्ज हो गई जिसका फायदा उठा कर गैरसायलान कब्जा /रहन बेय कर सकते है यह तथ्य तो वाद में तय किया जाना है पूर्व निर्णय अनुसार नक्शा तरमीम हुई या नही तब तक वाद भूमि की यथास्थिति रखी जानी उचित है ताकि किसी भी पक्षकार के हक प्रभावित ना हो सके अत प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रतीत होने के कारण सायलान के पक्ष में तय किया जाता है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित होने के कारण सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में तय किया जाता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म की जाती है तो अपूणीय क्षति किसको होती है यदि गलत तरमीम के आधार पर भूमि मुन्तकिल हो जाती है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी गलत तरमीम से खसरा सायलान का प्रभावित हुआ है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों सायलान के पक्ष में साबित होने के कारण गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2023 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म की जाती है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:25 IST
Reason: SelfAttested